म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2374/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2023 दिनांक 05/12/23

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
ज्ञानवीर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र.)

विषय– शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ङ) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2023–24** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की **24.11.2023** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की सभा बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
3	Faculty of Art, Humanities & Social Science	BA	8,000.00	6,800	1,200	8,000
		MA	12,000.00	10,200	1,800	12,000
		BSW	15,000.00	10,200	1,800	12,000
		MSW	20,000.00	17,000	3,000	20,000
		B.lib	15,000.00	12,750	2,250	15,000
		M.lib	20,000.00	17,000	3,000	20,000
4	Faculty of Commerce & Management Studies	B.Com	8,500.00	7,225	1,275	8,500
		M.Com	12,000.00	10,200	1,800	12,000
		B.B.A.	15,000.00	12,325	2,175	14,500
		M.B.A.	40,000.00	33,150	5,850	39,000

निरंतर-02

Registrar
Gyanveer University, Sagar (M.P.)

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल-462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnvva.in, फोन : 0755-2490322
Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnvva.in, Phone : 0755-2490322

Scanned with OKEN Scanner

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

8	Faculty of Basic & Applied Science	B.Sc.	10,000.00	8,500	1,500	**10,000**
		M.Sc.	14,000.00	11,900	2,100	**14,000**
		M.Sc.(CS)	20,000.00	17,000	3,000	**20,000**
		D.C.A.	10,000.00	8,500	1,500	**10,000**
		P.G.D.C.A.	15,000.00	12,750	2,250	**15,000**
		B.C.A.	15,000.00	12,750	2,250	**15,000**
		M.C.A.	40,000.00	34,000	6,000	**40,000**

नोट– **उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।**

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधाना-नुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. **सत्र 2023–24** हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडो की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये ।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र मे प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओ एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

05/12/2023

(डॉ.के.पी.साहू)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक______/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023 **भोपाल, दिनांक**

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

Registrar
Gyanveer University, Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 3012 / फीस / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग / 2023 — दिनांक 18/12/23

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
ज्ञानवीर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।
संदर्भ- विश्वविद्यालय का पत्र क्र. ज्ञानवीर/आरडीसी/2023/1004 दिनांक 14.12.2023

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(16)(ख) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालयों में वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अभिलिखित तथ्यों / शर्तों के अध्यधीन आयोग के पत्र क्र. 2874 दिनांक 06.12.2023 के माध्यम से की गई है। विश्वविद्यालय में संचालित शेष पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(प्रति वर्ष में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & all other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Basic & Applied Science	B.Sc. (Hons) Agriculture	60000	29750	5250	35000
2		M.Sc. Agriculture	90000	40800	7200	48000
3	Faculty of Medical Health & Allied Science	B.Pharma	95000	72250	12750	85000
4		D.Pharma	120000	63750	11250	75000

नोट- उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर प्रारंभिक रूप से की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत में शामिल नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

निरंतर-2

Registrar
Gyanveer University, Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

//४//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ऑडिट पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. **सत्र 2023-24** हेतु स्वघोषित अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जावे।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिए गए अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान निहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 35(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के सभी एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क निर्धारण किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जावे।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक______/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अकादमिक शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

Registrar
Gyanveer University, Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 152/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2023

दिनांक 19/01/24

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
ज्ञानवीर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र.)

विषय– शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।
संदर्भ– विश्वविद्यालय का पत्र क्र. जीयूएस/आरईजी/2024/0044 दिनांक 18.01.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2023–24** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तो के अध्यधीन आयोग के पत्र क्र. 2874 दिनांक 05.12.2023 के माध्यम से की गई है। विश्वविद्यालय में संचालित शेष पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Law & Legal Studies	LLB.	25,000.00	17850	3150	21000
2		B.A.L.L.B. (Hons)	25,000.00	17500	3150	21000
3		L.L.M.	25,000.00	17500	3150	21000

नोट– उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्तावएवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

निरंतर–02

Registrar
Gyanveer University, Sagar (M.P.)

19/1/24

Scanned with OKEN Scanner

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2023–24 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये ।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नही है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

19/11/23/24

(डॉ. के.पी.साहू)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक........../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

Registrar
Gyanveer University, Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2622/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक 25/9/24

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
ज्ञानवीर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र.)

विषय– शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ढ) एव (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2024–25** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक **24.08.2024** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक **05.09.2024** में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है–

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यकमो हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Law & Legal Studies	LLB.,	22,260.00	18,921.00	3,339.00	22,260.00
		B.A.LL.B. (Hons)	22,260.00	18,921.00	3,339.00	22,260.00
		LL.M.	22,260.00	18,921.00	3,339.00	22,260.00
2	Faculty of Medical Health & Allied Science	B.Pharm	90,100.00	72,250.00	12,750.00	85,000.00
		D.Pharm	79,500.00	63,750.00	11,250.00	75,000.00

Registrar
Gyanveer University, Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

//12//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

3	Faculty of Art, Humanities & Social Science	BA	8,480.00	7,208.00	1,272.00	8,480.00
		MA	12,720.00	10,812.00	1,908.00	12,720.00
		BSW	12,720.00	10,812.00	1,908.00	12,720.00
		MSW	21,200.00	18,020.00	3,180.00	21,200.00
		BFA	25,000.00	19,975.00	3,525.00	23,500.00
		MFA	25,000.00	19,975.00	3,525.00	23,500.00
		BPA	35,000.00	28,050.00	4,950.00	33,000.00
		MPA	35,000.00	28,050.00	4,950.00	33,000.00
		B.MUSIC/B.DANCE	25,000.00	19,975.00	3,525.00	23,500.00
		M.MUSIC/M.DANCE	25,000.00	19,975.00	3,525.00	23,500.00
		BAJMC	15,000.00	11,900.00	2,100.00	14,000.00
		MAJMC	20,000.00	16,150.00	2,850.00	19,000.00
		B.Lib.	15,900.00	13,515.00	2,385.00	15,900.00
		M.Lib.	21,200.00	18,020.00	3,180.00	21,200.00
4	Faculty of Commerce & Management Studies	B.Com	9,010.00	7,658.50	1,351.50	9,010.00
		M.Com	12,720.00	10,812.00	1,908.00	12,720.00
		BBA	15,370.00	12,750.00	2,250.00	15,000.00
		MBA	41,340.00	34,850.00	6,150.00	41,000.00
5	Faculty of Basic & Applied Science	B.Sc.	10,600.00	9,010.00	1,590.00	10,600.00
		M.Sc.	14,840.00	12,614.00	2,226.00	14,840.00
		M.Sc.(CS)	21,200.00	18,020.00	3,180.00	21,200.00
		B.Sc. (Hons) Agriculture.	37,100.00	31,450.00	5,550.00	37,000.00
		M.Sc. Agriculture	51,940.00	41,650.00	7,350.00	49,000.00
		DCA.	10,600.00	9,010.00	1,590.00	10,600.00
		PGDCA.	15,900.00	13,515.00	2,385.00	15,900.00

Registrar
Gour University, Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

//03//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

6	Faculty of Engineering	BCA	15,900.00	13,515.00	2,385.00	15,900.00
		MCA	42,400.00	36,040.00	6,360.00	42,400.00
		B.TECH	50,000.00	35,275.00	6,225.00	41,500.00
		M.TECH	64,000.00	45,900.00	8,100.00	54,000.00
7	Faculty of Education	B.P.E.S	30,000.00	24,650.00	4,350.00	29,000.00
		M.P.E.S	35,000.00	28,900.00	5,100.00	34,000.00
		B.P.Ed	50,000.00	40,800.00	7,200.00	48,000.00

1. उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
2. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित व्यय पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जावेगा।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क का अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय जवाबदारी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म. प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 6(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 6(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।

Registrar
Gyanveer University Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

//04//

शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024–25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति मे शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)
प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक 2623/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024 भोपाल, दिनांक 25/9/24

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

.... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

Registrar
Gyanveer University, Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 3584 / फीस / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग / 2023

दिनांक 26/12/24

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
ज्ञानवीर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र.)

विषय–शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन आयोग के पत्र क्र. 2622 दिनांक 25.09.2024 के माध्यम से की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क समीक्षा आदेश में पुर्नविचार करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेखित है कि विश्वविद्यालय में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों के शुल्क में अत्याधिक कमी हो गयी है। जिस पर पुर्नविचार किया जाये। विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पर शुल्क समीक्षा समिति द्वारा पुर्नविचार एवं परीक्षण उपरांत कुछ पाठ्यक्रमों के शुल्क में आंशिक संशोधन किया गया है। तदनुसार विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु संशोधित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee& All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Basic & Applied Science	B.Sc. (Hons) Agriculture.	90,000	42,500	7,500	50,000
2	Faculty of Commerce & Management Studies	MBA	1,00,000	42,500	7,500	50,000

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर प्राविधिक रूप से की गई है।

Registrar
Gyanveer University, Sagar (M.P.)

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल- 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnvva.in, फोन : 0755-2490
Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnvva.in, Phone : 0755-2490

Scanned with OKEN Scanner

//02//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)
प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक........../म.प्र.नि.वि.वि.विआ/2024 भोपाल, दिनांक ....

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

.... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

Registrar
Gyanveer University

Scanned with OKEN Scanner